196

संख्या– 160 VI-2/2014–51(6)2012 T.C.

प्रेषक,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रारद निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक : जून, 2014

विषयः– आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में पुलिस सहायतार्थ शान्ति सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात होने वाले प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों के लिए मजदूरी एवं यात्रा व्यय हेतु बजट अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–238/दो–2541–प.नि./2014–15 दिनांक 11 जून, 2014 एवं शासनादेश संख्या 118/VI-2/2014–51(6)2012 टी0सी0 दिनांक 28 अप्रैल, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में पुलिस सहायतार्थ शान्ति सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात होने वाले प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों के लिए 02–मजदूरी हेतु प्राविधानित धनराशि ₹1,50,00,000(₹एक करोड़ पचास लाख) मात्र में से ₹1,07,44,750 (₹एक करोड़ सात लाख च्वालिस हजार सात सौ पचास) मात्र की अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि **₹42,55,250/– (₹बयालीस लाख पचपन हजार दो सौ पचास)** मात्र एवं 04–यात्रा व्यय में प्राविधानित धनराशि ₹20,00,000(₹बीस लाख) मात्र में से ₹16,18,000 (₹सोलह लाख अठ्ठारह हजार) मात्र की अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि **₹3,82,000/–(₹तीन लाख बयासी हजार)** मात्र की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित

–2–

निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीषर्क–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–001–निदेशन तथा प्रशासन–10–विभिन्न निर्वाचनों में तैनात पी.आर.डी. स्वयं सेवकों हेतु बजट व्यवस्था–00–02–मजदूरी मानक मद–04–यात्रा व्यय मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष** के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(डा0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या–160 (1)/VI-2/2014–51(6) 2012 T.C. तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– मुख्य/वरिष्ठ वित्त अधिकारी, देहरादून/पौड़ी/चमोली/रूद्रप्रयाग/टिहरी/उत्तरकाशी/ऊधमसिंह नगर/नैनीताल/अल्मोड़ा/बागेश्वर/चम्पावत/पिथौरागढ़।
3– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4– मुख्य कोषाधिकारी देहरादून।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालंय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव।